

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या 15 / 108 / 17	प्रवेश तिथि 21-11-2017	निर्णय दिनांक 21-05-2018
--	---------------------------	-----------------------------

Punjab & Sind Bank ,International Banking Division 6, Scindia house
(Ground Floor) Connaught Circus New Delhi-110001

—प्रार्थी

बनाम

- 1-M/s Maha Associated Hotels Pvt Ltd. K-47 Janpath Road Kishan Nagar,Shyam Nagar Jaipur Rajasthan-302019
- 2-M/s Maha Hotel Project Private Limited, Premises no-811, 8th Floor, Maker Chambers V, 221 Nariman Point Mumbai-400021
- 3-M/s Yashdeep Sharma, Through its Director, M/s Maha Hotel Project Private Limited, Premises no-811, 8th Floor, Maker Chambers V, 221 Nariman Point Mumbai-400021

Also At

SY No-64 Besides Shilpakalavedika, HITEC City Main Road, Madhapur , Hyderabad-81

4-Mr Laxmi Narayan Sharma , Through its Director, M/s Maha Hotel Project Private Limited, Premises no-811, 8th Floor, Maker Chambers V, 221 Nariman Point Mumbai-400021

Also At

SY No-64 Besides Shilpakalavedika, HITEC City Main Road, Madhapur , Hyderabad-81

अप्रार्थीगण / ऋणी



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाइजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी। ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थीगण द्वारा EQUITQBLE MORTAGAGE OF LEASEHOLD PLOT BEARING NO. HTL- 10, NEW INDUSTRIAL AREA COMPLEX (MAJRAKATH) NEEMRANA, DISTRICT ALWAR,RAJASTHAN LAND AREA MEASURING 15000 SQ ,ETERS STANDING IN THE NAME OF M/S MAHA ASSOCIATE HOTELS PVT LTD

जिला कलक्टर

ALONGWITH SUPERSTRUCTURE THEREON प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को ऋण प्रदान की थी। ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर को रहन रखा गया था। अप्रार्थी तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नोन परफॉर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति, का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्मलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं :-

1. रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर सम्मलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावें।
2. आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेश दस्तावेजात के आधार पर दिये जा रहे हैं, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार नीमराना जिला अलवर को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्वोरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ काईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्चुरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा-31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्मलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहने रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21-05-2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में

दस्तावेज बनाया गया।



(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर